UPJB040031352023

Presented on : 01-02-2023
Registered on : 02-02-2023
Decided on : 01-04-2024
Duration : 1 years, 2 months, 0 days

IN THE COURT OF
ADDITIONAL CHIEF JUDICIAL MAGISTRATE - 1
AT ,Amroha
(Presided Over by SRI ABHISHEK KUMAR VYAS)

Warrant or Summons Criminal Case/2792/2023

न्यायालयः प्रथम अपर सिविल जज (सी0डि0)/ए.सी.जे.एम. जनपद अमरोहा

वाद संख्या–4670/2023
अपराध सं0 –158/2022
सरकार बनाम सुखवीर।
अंतर्गत धारा – 60 आबकारी अधिनियम
थाना–मण्डी धनौरा, जिला अमरोहा ।

निर्णय

अभियुक्त सुखवीर द्वारा प्रकरण में आज जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त के ऊपर दिनांक 27.05.2022 को समय 12.10 बजे स्थान पहाड़पुर तिराहा, थाना मण्डी धनौरा, जिला अमरोहा में जब अभियुक्त को पुलिस पार्टी द्वारा पकड़ा गया तो उसकी जामा तालाशी पर उसके कब्जे से **25** लीटर अवैध कच्ची शराब बगैर लाईसेंस के बरामद होने का आरोप है।

अभियुक्त ने स्वेच्छा से अपराध स्वीकार किया है।

अतः अभियुक्त को धारा 60 आबकारी अधिनियम के अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांकः–01.04.2024

(अभिषेक कुमार व्यास)
प्रथम अपर सिविल जज (सी0डि0)/
ए.सी.जे.एम. अमरोहा

Digitally signed by Abhishek Kumar Vyas
Date: 2024.04.01 16:47:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्त को सजा के प्रश्न पर सुना गया।

अभियुक्त ने कथन किया है कि वह बहुत गरीब व्यक्ति है। उसका परिवार बेहद गरीब है तथा उसके ऊपर निर्भर है एवं उसने अन्य कोई अपराध नहीं किया है। अतः अभियुक्त ने केवल जुर्माने से दण्डित किये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

घटना दिनांक 27.05.2022 की है। वाद दिनांक 30.01.2023 से न्यायालय में लंबित है। अभियुक्त के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि के दस्तावेज पत्रावली में दाखिल नहीं है। अतः उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है।

आदेश

अभियुक्त **सुखवीर** को धारा 60 आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक के साधारण कारावास तथा **2500/— रूपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त के द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर उसे **15 दिवस** तक साधारण कारावास भुगताया जायेगा।

अभियुक्त के द्वारा जेल में व्यतीत की गयी अवधि मूल सजा में से मुजरा की जायेगी।

प्रकरण में बरामद मुद्देमाल नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः— 01.04.2024

(अभिषेक कुमार व्यास)
प्रथम अपर सिविल जज (सी0डि0)/
ए.सी.जे.एम. अमरोहा

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित करके सुनाया गया।

Dictated on :01-04-2024
Transcribed on :01-04-2024
checked on :01-04-2024
Signed on :01-04-2024

(अभिषेक कुमार व्यास)
प्रथम अपर सिविल जज (सी0डि0)/
ए.सी.जे.एम. अमरोहा

टाईपकर्ता—गौरव कुमार, आशुलिपिक